1

न्यायालयः— विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद,जिला भिण्ड (समक्षः पी०सी०आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण<u>कमांकः 57 / 2015</u> संस्थित दिनांक—25 / 05 / 2011 फाईलिंग नंबर—230303005622011

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा— १००० अंशियां प्रदेश राज्य द्वारा— १००० अंशियोजन अंशियोजन

वि रू द्ध

- महेश पुत्र छविराम सिंह गुर्जर,
 उम्र 31 सालउपस्थित आरोपी
- 2. फूलसिंह पुत्र नाथूसिंह गुर्जर, उम्र 32 साल निवासी ग्राम गिरगांव, थाना महाराजपुरा जिला ग्वालियर म.प्र.पूर्व से निराकृत आरोपी

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक आरोपी महेशसिंह द्वारा श्री अबधबिहारी पाराशर अधिवक्ता

—::— <u>निर्णय</u> —::— (आज दिनांक **30 जनवरी 2017** को खुले न्यायालय में घोषित)

- शेष विचाराधीन अभियुक्त महेशिसंह के विरुद्ध धारा 392 भादिव सहपिठत धारा—11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट का आरोप है कि उन्होनें दि.—30/12/2010 के रात 9 बजे ग्राम गुरीखा डकैती प्रभावित क्षेत्र में फरियादी दिलीप से उसकी मोटरसाइकिल, मोबाइल तथा रूपये छीनकर ले जाकर लूट कारित की ।
- 2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना दिनांक को राजस्व जिला भिण्ड में म.प्र. डकैती एवं व्यपहरण प्रभावी क्षेत्र अधिनियम 1981 प्रभावशील था। एवं आरोपी फूलसिंह के दि0—21 मार्च 2016 को प्रकरण निराकृत किया जा चुका है, जिसमें आरोपी फूलसिंह को दोषमुक्त किया गया है।
- 3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि दिनांक—30 / 12 / 2010 के रात्रि करीब 9 बजे अपनी किराने की दुकान बंद करके अपने गांव गुरीखा जा रहा था, जैसे ही उसकी मोटरसाइकिल गुरीखा रोड पर पहुंची तो रोड पर झकरा पड़े दिखे, फरियादी ने अपनी मोटरसाइकिल

रोकी तभी दो आदमी उसके सामने आ गये जिनमें से एक मोटा सा ठिकना, गेहुएं रंग का उम्र 25—30 साल, दूसरा इकहरा बदन, लंबा सा गेहुंएा उम्र 25—30 साल के अपने हाथों में डण्डा लिये आये और उसकी पेंट की जेब से लटक गये और उसकी जेब में रखें 10,000 / —रूपये मय सफंद रंग की पेंट के उतारकर ले गये । उक्त पेंट में फरियादी का स्पाइस कंपनी का मोबाइल, मोटरसाइकिल के कागज और फरियादी की मोटरसाइकिल नंबर—एम.पी. —07 एम.जे.—8019 को लूटकर मालनपुर की तरफ भाग गये ।

- 4. उक्त आशय का की सूचना पर से थाना मालनपुर में फरियादी दिलीप सिंह द्वारा लेखबद्ध करायी गयी, जो थाना के अपराध कमांक—165 / 2010 अंतर्गत धारा—392 भा0द0वि0 व 11, 13 डकैती अधिनियम के अंतर्गत प्रदर्श पी.—03 लेखबद्ध की गयी एवं विवेचना के दौरान नक्शामौका, जप्ती व आरोपीगण की गिरफ्तारी एवं साक्षियों के कथन उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।
- 5. अभियोगपत्र एवं सलग्न प्रपत्रों के आधार पर शेष विचाराधीन अभियुक्त महेशसिंह के विरूद्ध के विरूद्ध धारा 392 भादवि सहपिठत धारा—11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया । धारा 313 जा० फौ० के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में रंजिशन झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है। उसकी ओर से कोई बचाव नहीं दी गयी है।
- 6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-
 - 1— क्या आपने दि.—30 / 12 / 2010 के रात 9 बजे ग्राम गुरीखा डकैती प्रभावित क्षेत्र में फरियादी दिलीप से उसकी मोटरसाइकिल, मोबाइल तथा रूपये छीनकर ले जाकर लूट कारित की ?

<u>—::-निष्कर्ष के आधार</u>—::-

7. परीक्षित साक्षियों में से घटना के फरियादी एवं सर्वाधिक महत्व के साक्षी दिलीप गौड अ०सा0—3 ने अपने अभिसाक्ष्य में आरोपी की पहचान से इंकार करते हुए कहा है कि उसकी हरीराम कुईया मालनपुर में दुकान है और वह अपनी दुकान पर ग्राम गुरीखा से आता जाता था, घटना वाले दिन भी वह अपनी दुकान बंद करने के बाद मोटरसाइकिल से अपने गांव गुरीखा जा रहा था, शाम को करीब साढे सात बजे का समय था, जैसे ही वह ग्राम गुरीखा के मोड पर पहुंचा तो दो लोग जो अपना मुंह बांधे हुए थे और रोड पर मिले, रोड पर झाकरें लगा दी थी जिसके कारण वह रूक गया । फिर दोनों ने उसकी मोटरसाइकिल छुडा ली और उसका पेंट जबरदस्ती उतरवाकर ले गये, पेंट की जेब में 10000 रूपये व

मोबाइल रखा था फिर उसने थाना मालनपुर में जाकर दो अज्ञात लोगों के विरूद्ध मोटरसाइकिल, मोबाइल व रूपये की लूट की प्रदर्श पी.—4 की रिपोर्ट लिखायी थी । पुलिस ने उसकी निशादेही पर प्र.पी. —5 का नक्शामौका बनाया जाना बताते हुए इस बात से इंकार किया है कि आरोपी महेशसिंह उसे उसके सामने पुलिस ने मोटरसाइकिल जब्त की थी । जब्त पत्रक प्रदर्श पी.—6 पर एवं शिनाख्ती पत्रक प्र. पी.—7 पर ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर अवश्य बताये हैं ।

- उक्त फरियादी दिलीप सिंह अ.सा.–3 को अभियोजन द्वारा पक्ष 8. विरोधी घोषित करते हुए पूछे गये सूचक प्रश्नों में उसने इस बात को स्वीकार किया है कि दिनांक-18 / 05 / 2011 को उसके भाई गिर्राज ने उसकी दुकान पर आकर बताया था कि उसकी लूटी हुई मोटरसाइकिल एक व्यक्ति रिठौरा तरफ चलाकर ले गया है । फिर वह व उसका भाई गिर्राज रिठौरा रोड पर पहुंचे थे और एक व्यक्ति को मोदरसाइकिल चलाकर आते हुए देखा था। उक्त साक्षी ने आरोपी घटना के समय आरोपी महेश को देखने व उसकी पहचान संबंधी कोई कार्यवाही कराने से इंकार किया है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी फुलसिंह ने विचाराधीन आरोपी महेशसिंह से मिलकर उसकी मोटरसाइकिल, मोबाइल व पेसे की लूट की थी। एवं जेल में पहचान कार्यवाही प्र.पी.—7 से इंकारी की है एवं पुलिस के कहने से थाने पर हस्ताक्षर करना कहा है। इस बात से भी उसने इंकार किया है कि आरोपी महेशसिंह की रिश्तेदारी उसके ग्राम ग्रीखा में है । आरोपी फूलसिंह से लूटी गयी मोटरसाइकिल बरामद होने से भी उसने इंकार किया है। और जब्ती पत्रक की पृष्टि नहीं की है । इस बात से भी इंकार किया है कि उसने मौके पर आरोपीगण को पहचान लिया था ।
- गिर्राज फरियादी दिलीप के भाई 9. अ.सा.–4 अभियोजन द्वारा प्रदर्श पी.—6 की मोटरसाइकिल का जब्ती का साक्षी बताया गया उसने भी अपने अभिसाक्ष्य में प्रदर्श पी.—6 पर केवल बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर बताये हैं और इस बात से इंकार किया कि वह आरोपी महेशसिंह को जानता है तथा उसके भाई दिलीप के साथ हुई लूट की घटना के करीब पांच माह बाद आरोपी महेशसिंह से लूटी गयी मोटरसाइकिल जुब्त की गयी थी, इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी महेशसिंह को लूटी गयी मोटरसाइकिल लेकर उसने रिटौरा तरफ देखा था और उक्त बात अपने भाई दिलीप को बतायी थी । वह इस बात से भी इंकार करता है कि पुलिस को भी उक्त बात बतायी और वह तथा दिलीप पुलिस के साथ गये थे और आरोपी का पीछा किया था, तो आरोपी महेशसिंह मोटरसाइकिल छोडकर भाग गया था । फिर पुलिस ने मोटरसाइकिल जब्त की, प्रदर्श पी.—10 का इस संबंध में कथन देने से भी वह इंकार करता

10. इस प्रकार से उपरोक्त दोनों घटना के महत्वपूर्ण साक्षी जिनके द्वारा शेष विचाराधीन आरोपी महेशिसंह के विरूद्ध कोई अभिसाक्ष्य नहीं दिया गया है तथा प्रकरण में आरोपी महेशिसंह को प्र.पी.—3 मुताबिक फिरयादी दिलीप का मोबाइल स्पाइस कंपनी का आईएमईआई नंबर—910040992790241 एवं 910040992790258 मय सिम नंबर—9826559690 की जब्ती होने के आधार पर अभियोजित किया गया है जिसका साक्षी रमेश गौड अ.सा.—02 कोई समर्थन नहीं करता है। इसके अलावा साक्षी थानिसंह अ.सा.—5 और उसके पुत्र शैलेन्द्र अ.सा.—6 ने भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। थानिसंह ने प्रदर्श पी.—11 और शैलेन्द्र ने प्र.पी.—12 के पुलिस कथन उनको देने से इंकार किए हैं। उनके अभिसाक्ष्य में भी आरोपी महेशिसंह के संबंध में अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य नहीं बताये गये हैं।

4

- 11 प्रपटवारी योगेन्द्र त्रिपाठी अ.सा.-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में तहसीलदार गोहद के आदेश पर घटनास्थल पर जाकर प्र.पी.—1 का नक्शामौका तेयार करना बताया है, थाने पर बनाने से इंकार किया है। प्र.पी.—1 में घटनास्थल ग्राम गुरीखा का रोड है, जो भिण्ड ग्वालियर हाईवे से जुडा हुआ है और अभियाजन के अनुसार घटना ग्रीखा रोड की बतायी गयी है, ग्रीखा रोड का जो स्थान नक्शामौका प्र.पी.–1 में अंकित किया गया है, वह घटना दि० को राजस्व जिला भिण्ड के अंतर्गत होकर डकैती प्रभावित क्षेत्र में अवश्य आता था किन्तु जो लूट की घटना दिलीप अ.सा.—3 ने बतायी है, जिसमें मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन व रूपयों की लूट दो अज्ञात लोगों के द्वारा की जाना बतायी गयी है, अ.सा.—3 व अ.सा.—4 के अभिसाक्ष्य से अधिकतम इस बिन्दु की पुष्टि होती है कि दि0—30 / 12 / 2010 की रात्रि के समय जब दिलीप गौड मालनपुर से अपनी दुकान बंद करके अपने घर गुरीखा जा रहा था तब गुरीखा के रास्ते में उसके साथ लूट की घटना दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अंजाम दी गयी, जिसमें उसकी मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन व 10000 रूपये जो वह अपनी पेंट की जेब में रखा था, लूट लिये गये। किन्तु उस लूट की घटना में आरोपी महेशसिंह शामिल था ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आयी है । प्रकरण में प्रदर्श पी0-7 मुताबिक आरोपी महेशसिंह की शिनाख्ती कार्यवाही करायी गयी है, किन्तु शिनाख्तीकर्ता दिलीप अ.सा.—3 ने आरोपी महेशसिंह को शिनाख्ती कार्यवाही में पहचानने से इंकार किया है ।
- 12. प्र.पी.—4 की एफ आई आर के अंत में ऐसा भी उल्लेख किया गया कि बदमाश भमरौली गांव की तरफ की भाषा बोल रहे थे,

जबिक लूट की जो घटना बतायी गयी है, उसमें लूट के समय, लूट करने वालों का आपस में या फरियादी दिलीप से कोई वार्तालाप हुई हो, ऐसा भी नहीं बताया गया है। ऐसा भी नहीं बताया गया कि लूट करने वालों ने फरियादी को रोका हो और उससे किसी भय को दिखाते हुए कुछ बोलते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया हो, ऐसे में एफ आई आर में उल्लेखित यह बिन्दु कि बदमाश भमरौली गांव की भाषा बोल रहे थे उसकी कतई पुष्टि कथानक से नहीं होती है और दिलीप ने तो इस बारे में कोई साक्ष्य नहीं दी है जिसका अनुसंधान के दौरान दो बार प्र0पी0—8 व 9 के रूप में कथन लिये गये थे जिसकी भी उसने कोई पुष्टि नहीं की है जिसमें आरोपी महेशसिंह की इस आधार पर भी घटना में शामिल होने का बिन्द् प्रकट किया गया था कि आरोपी महेशसिंह गिरगांव का रहने वाला है जिसकी ग्राम ग्रीखा में उदयसिंह व कल्याण सिंह गुर्जर के यहां रिश्तेदारी है जहां वह कई सालों से उनके यहां आता जाता देखा गया है, फरियादी दिलीप के भाई गिर्राज के द्वारा देखा जाता रहा है। इस बात की पृष्टि गिर्राज अ.सा.–4 ने भी नहीं की है । यदि ेऐसा होता कि ग्राम ग्रीखा में आरोपी महेशसिंह के अपनी रिश्तेदारी में उदयसिंह व कल्याणसिंह के यहां आते जाते कई वर्षीं तक देखा गया होता और उसका घटना में शामिल होना वास्तविक होता तो फिर एफ आई आर में फरियादी दिलीप उसका नाम लिखाता क्योंकि फरियादी भी गांव ग्रीखा का ही निवासी है और ग्राम ग्रीखा से ही वह मालनपुर में अपनी दुकान पर प्रतिदिन आता जाता है ।

- 13. प्रकरण में एफ आई आर का यह वृतांत कि लुटेरे भमरौली गांव की भाषा बोल रहे थे, ऐसी भाषा फरियादी ने बतायी, इस बारे में एफ आई आर लेखक आत्माराम शर्मा अ.सा.-7 का भी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है कि उसने कोई बात फरियादी के बताने पर लिखी, जबिक कोई वार्तालाप भी नहीं हुई 🚺 तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क आधार रखता है कि ग्राम भमरौली की कोई अलग भाषा नहीं है जबकि संपूर्ण जिला भिण्ड में लगभग एक जैसी भाषा बोली जाती है । ऐसी प्रकरण में/कोई साक्ष्य भी नहीं है कि यह निश्चित कर सके कि ग्राम भमरौली व ग्राम ग्रीखा की भाषा अलग अलग है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपी महेशसिंह ग्राम भमरौली का निवासी भी नहीं है बल्कि ग्राम गिरगांव थाना महाराजपुरा जिला ग्वालियर का निवासी है, जैसाकि अभियोजन द्वारा भी बताया गया है और आरोपी की ओर से भी वही पता बताया गया है। इसलिये भमरौली गांव तरफ की भाषा बोलने का कोई तथ्य प्रकरण में किसी भी तरह से कड़ी के रूप में नहीं जुड़ता है।
- 14. अभियोजन के कथानक मुताबिक उक्त लूट की घटना में लूट करने वाले फरियादी दिलीप का पहना हुआ पेंट उतरवाकर ले गये थे

जिसमें मोबाइल फोन व दस हजार रूपये रखे थे किन्तु आरोपी महेशसिंह के गिरफतारी उपरांत धारा—27 साक्ष्य विधान के तहत मेमोरेण्डम कथन नहीं लिया गया है।

- 15. उक्त अपराध में आरोपी महेश सिंह गुर्जर को फरियादी दिलीप गौड के द्वारा अनुसंधान के दौरान प्र.पी.—08 के पुलिस कथन के आधार पर जांच में लेकर उसकी उपजेल गोहद में कराई गई शिनाख्ती के आधार पर अभियोजित किया गया है, क्योंकि फरियादी दिलीप द्वारा लिखाई गई एफ आई आर प्र.पी.—04 में बदमाशों को सामने आने पर पहचान लेने की बात बताई गई थी, और अनुसंधान स्तर पर फरियादी दिलीप द्वारा प्र.पी.—07 मुताबिक आरोपी महेश की उपजेल गोहद में सिर पर हाथ रखकर सही पहचान करना बताया गया है, उसके संबंध में दिलीप अ.सा.—03 के अभिसाक्ष्य में समर्थन नहीं हुआ है और उसने आरोपी महेश का लूट की घटना में शामिल होने का स्पष्ट खण्डन किया है इसलिए प्र.पी.—07 शिनाख्ती की कार्यवाही प्रमाणित नहीं हुई है, तथा प्र.पी.—08 का पुलिस कथन का वृतांत भी प्रमाणित नहीं हो सका है।
- घटना की विवेचना करने वाले तत्कालीन एस.डी.ओ.पी. गोहद 🔌 आत्माराम शर्मा अ.सा.–7 के अभिसाक्ष्य का मूल्यांकन किया जाए तो उसने अपने अभिसाक्ष्य में पैरा–3 में यह कहा है कि फरियादी की सूचना पर दि0–18/05/2011 को दिलीप व गिर्राज के समक्ष आरोपी फूलसिंह द्वारा भागकर छोडी गयी मोटरसाइकिल डिस्कवर क0-एम.पी.-07 एम.डी.-8019 को उसने जब्त किया था जो कॉम्टन फैक्ट्री के सामने मिलना पैरा-4 में बताया गया है जिसका दिलीप व गिर्राज ने तो कोई समर्थन नहीं किया है। आरोपी फूलसिंह के संबंध में पूर्व में प्रकरण निराकृत किया जा चुका है इसलिये उपस्थित आरोपी महेशसिंह के संबंध में ही वर्तमान में देखा जाना है । शेष विचाराधीन आरोपी महेशसिंह के संबंध में उक्त विवेचक ने अभिसाक्ष्य दिया है कि दि0-03/02/2011 को आरोपी महेश को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र.पी.—2 बनाया था और महेश के कब्जे से एक मोबाइल स्पाइस कंपनी का मय सिम नंबर–9826559690 का जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.—3 बनाया था। किन्तु गिरफतारी पंचनामा प्र.पी.—2 एवं जब्ती पंचनामा प्र.पी.—3 के पंच साक्षी रमेश गौड अ.सा.-2 ने गिरफतारी व जब्ती का समर्थन नहीं किया है और प्र.पी.—02 व 03 पर अपने हस्ताक्षर दरोगाजी द्वारा उसकी दुकान पर आने पर यह कहकर कराये जाना बताता है कि उसके भंजीते की मोटरसाइकिल का केस है इस पर हस्ताक्षर कर दो। आरोपी महेश से संबंधित प्र.पी.—2 के गिरफतारी पत्रक एवं प्र.पी.—3 के जब्ती पत्रक के दूसरे पंच साक्षी आरक्षक प्रेमसिंह को अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है ।

17. विवेचक अत्माराम शर्मा अ.सा.—07 ने प्र.पी.—04 की एफ आई आर फरियादी दिलीप द्वारा की गई रिपोर्ट पर से कायम करना बताया है, और साक्षियों के कथनों के आधार पर तथा जब्त हुई मोटरसाइकिल पर से विवेचना पूर्ण करना कही है, आरोपी महेश के कब्जे से स्पाईस कंपनी का मोबाइल मय सिम क्रमांक 982655690 को प्र.पी.—03 के जब्तीपत्रक द्वारा जब्त करना बताया है, किंतु प्र.पी.—03 की जब्ती का समर्थन पंच साक्षियों से नहीं है, इसलिए जिस आधार पर महेश को लूट की उक्त घटना में शामिल होना कथानक मुताबिक बताया गया है उसकी पुष्टि युक्तियुक्त संदेह के परे नहीं होती है, और अ.सा.—07 के द्वारा की गई कार्यवाही की पुष्टि महत्वपूर्ण साक्षियों से न होने से उक्त साक्षी का अभिसाक्ष्य औपचारिक स्वरूप का हो जाता है, जिससे विरचित आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

7

- उपनिरीक्षक राकेश प्रसाद अ.सा.—08 ने विचाराधीन आरोपी महेश सिंह गुर्जर के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है, दोषमुक्त आरोपी फूलसिंह से संबंधित औपचारिक गिरफ्तारी प्र.पी.—14 तथा फूलसिंह के धारा–27 साक्ष्य विधान के तहत लिए गए मेमोरेण्डम कथन प्र.पी.—15 और 16 की कार्यवाही करना बताया है, जिसके 💇 संबंध में उसके अभिसाक्ष्य को फूलसिंह के निराकरण में भी विश्वसनीय नहीं माना गया, प्र.पी.—15 के मेमोरेण्डम कथन में विचाराधीन आरोपी महेश का उल्लेख आया है, किंत् ऐसा उल्लेख और उसके संबंध में दी गई साक्ष्य विचाराधीन आरोपी के बाबत ग्राह्य योग्य नहीं होगी, क्योंकि न्याय दृ0 **लक्ष्मीनारायण्/विरूद्ध** स्टेट ऑफ एम0पी0 2009 भाग-01 एम0पी0एच0टी0 पेज 478 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, कि यदि एक व्यक्ति की सूचना के मेमोरेण्डम में किसी अन्य व्यक्ति के नाम का उल्लेख भी आया हो तो उस दूसरे व्यक्ति को उसके आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्र.पी. —15 का ज्ञापन आरोपी महेश सिंह गुर्जर के विरुद्ध उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, जब तक कि महेश सिंह गुर्जर का ज्ञापन न लिया गया हो और इस मामले में महेश सिंह गुर्जर का कोई ज्ञापन धारा–27 साक्ष्य विधान के तहत न लेना अभियोजन की कमी के रूप में ही मूल्यांकित होगा, इसलिए उपनिरीक्षक राकेश प्रसाद अ. सा.–08 की अभिसाक्ष्य प्र.पी.–15 के संबंध में आरोपी महेश के विरूद्ध विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती है, जिससे आरोपी महेश सिंह के विरुद्ध भी मामला संदेह की परिधि में आ जाता है।
- 19. प्र.पी.—12 के रोजनामचा सान्हा में इस बात का उल्लेख किया गया है कि मोटरसाइकिल क.—एम.पी.—07 एम.डी.—8019 के संबंध में फरियादी दिलीप गौड के द्वारा पुलिस को इस आशय की जानकारी

उपलब्ध करायी गयी थी कि उसकी लूटी गयी मोटरसाइकिल को महेशसिंह पुत्र नाथुसिंह गुर्जर निवासी गिरगांव का चलाकर रिठौरा तरफ गया है जिसे उसका भाई अच्छी तरह से जानता है क्योंकि महेशसिंह अपने मामा उदयसिंह और कल्याणसिंह निवासी ग्रीखा के यहां आता जाता है जिसे उसका भाई अच्छी तरह पहचानता भी है और उसके भाई ने भी देखने की जानकारी दी जिसे रोजनामचा सान्हा क0–602 पर/दर्ज कर तत्कालीन थाना प्रभारी आत्माराम शर्मा मय प्र.आर. गजेन्द्रसिंह, आरक्षक प्रेमसिंह, चालक रामशंकर के साथ शासकीय वाहन क.—एम.पी.—03—7239 से दिलीप व उसके भाई गिर्राज को लेकर कॉम्टन फैक्ट्री की तरफ रिठौरा रोड पर रवाना हुआ था । प्र.पी.—13 के रोज0सान्हा क0—606 में यह बताया गया है कि पैंट शर्ट पहने हुए कंजी आंखों का सांवले रंग का व्यक्ति उम्र करीब 28 साल रिठौरा तरफ से आता दिखा जिसे घेरा बंदी कर पकड़ने की कोशिश की तो वह मोटरसाइकिल छोडकर भाग गया पुलिस या फरियादी के हाथ नहीं आया, इस बात की पुष्टि न तो फरियादी दिलीप, न जानकारी देने वाले गिर्राज ने की है । विवेचक आत्माराम शर्मा के साथ जो पुलिसकर्मी गये थे वे परीक्षित नहीं है, स्वयं आत्माराम शर्मा रोज0सान्हा के संबंध में औपचारिक स्वरूप की सिक्ष्य देते हैं । इससे भी जब्ती संदिग्ध है । और यदि प्र.पी.–6 मुताबिक जब्ती दि0–18 / 5 / 2011 को ही हो गयी थी, तब फिर उसके संबंध में प्र.पी.—16 के मेमोरेण्डम कथन में उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है जो दि0–22/3/2012 को लिया गया था । ऐसे में प्र.पी.—11 से 13 व प्र.पी.—14 से प्र.पी.—16 के दस्तावेजों में से गिरफतारी को छोडकर शेष की पृष्टि नहीं होती है इसलिये अ. सा.–7 व अ.सा.–8 के आधार पर जिसका कि किसी साक्षी ने समर्थन नहीं किया, उसके आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि आरोपी महेशसिंह लूट की घटना में शामिल था और उसके कब्जे से ही लूटा गया मोबाइल बरामद हुआ था, जिससे बचाव पक्ष के इस आधार को भी बल मिलता है कि आरोपी को रोजनामचा सान्हा की खानापूर्ति करते हुए अभियोजित कर दिया/।

20. इस तरह से उपरोक्त समग्र साक्ष्य, तथ्य, परिस्थितियों के चरणबद्ध तरीके से किए गये विश्लेषण के आधार पर अभियोजन कथानक मुताबिक बतायी घटना में आरोपी महेशसिंह के विरूद्ध घटना संदेह से परे प्रमाणित नहीं होती है, कि उसके द्वारा दि0—30/12/2010 के रात करीब नौ बजे ग्राम गुरीखा के पास डकेती प्रभावित क्षेत्र में अन्य फरार अभियुक्त महेश के साथ मिलकर फरियादी दिलीप गौड के कब्जे की उसकी मोटरसाइकिल नंबर एम. पी.—07 एम.डी.—8019 तथा उसका मोबाइल फोन और 10000/— रूपये की लूट कारित की गयी । फलतः आरोपी महेशसिंह को संदेह का लाभ देकर धारा—392 भा.द.वि. एवं

9

धारा—11, 13 एम.पी.डी.ब्ही.पी.के. एक्ट के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है । दोषमुक्ति की सूचना आरोपी महेश के जेल वारंट पर भी लगाई जावे तथा अन्य प्रकरण में आवश्यकता न होने पर उसे अबिलंब छोडा जाए और उसकी सूचना इस न्यायालय को भेजी जावे।

- 21. आरोपी महेश सिंह का धारा-428 जा.फौ. के तहत प्रमाणपत्र संलग्न हो ।
- प्रकरण में जब्तशुदा सम्पत्ति स्पाईस कंपनी का मोबाईल 22. क्रमांक एम-5151 जिसका आई.एम.ई.आई 910040992790241 सिम क्रमांक 9826559690 को उसके वास्तविक बिलधारक स्वामी को एवं डिस्कवर मोटरसाइकिल हल्के काले रंग की क्रमांक एम0पी0-07 एम0जे0 8019 इंजन नंबर जे0बी0एम0बी0टी0ए0-29964 तथा चेसिस नंबर एम०बी०२डी०एस०पी०ए०जेड०जेड०टी०डब्लू०ए०—11437 पंजीकृत स्वामी को अपील अवधि पश्चात वापिस की जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण हो। विहित अवधि में यदि कोई दावेदार उपलब्ध नहीं होता है, तो उक्त संम्पत्ति 🐠को विधिवत राजसात किया जाकर नीलामी बिक्रय द्वारा बिक्रय कर राशि उपकोषालय गोहद में विधिवत जमा कराई जावे।
- 23. निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजी जाये।

दिनांकः 30/01/2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश, डकैती गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश, डकैती गोहद जिला भिण्ड